



25,000/- हजार का इनामिया अपराधी पुलिस मुडभेड़ में अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार

थाना मुस्करा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-261/20, धारा-2/3 गैग्रेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मण कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर उम्र 30 वर्ष को की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसी क्रम में थाना मुस्करा पुलिस द्वारा दिनांक 21.09.2021 को मुखबिर की सूचना पर बिलगाँव जाने वाली सडक नहर पुलिया के पास दबिश दी गई जिसपर उपरोक्त इनामियां अभियुक्त मनोज कुमार द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध मे थाना मुस्करा पर मु0अ0सं0-205/21, धारा-307 आईपीसी व मु0अ0सं0-206/21, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका थाना मुस्करा पर आपराधिक इतिहास है।

नाम पता अभियुक्त:-

➤ मनोज कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मण कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा कस्बा व थाना मुस्करा

थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग:-

- 1) मु0अ0सं0 261/2020 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट
- 2) मु0अ0सं0 73/2020 धारा 60(2) आबकारी अधि0
- 3) मु0अ0सं0 186/2016 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व धारा 272/273 आईपीसी
- 4) मु0अ0सं0 01/2016 धारा 60 आबकारी अधि0
- 5) मु0अ0सं0 706/2009 धारा 60 आबकारी अधि0
- 6) मु0अ0सं0 1005/2009 धारा 60 आबकारी अधि0
- 7) मु0अ0सं0 205/2021 धारा 307 आईपीसी
- 8) मु0अ0सं0 206/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामद माल:-

➤ एक अदद तमंचा 315 बोर एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. उमापति मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मुस्करा | 4. का0 अमर बहादुर थाना मुस्करा |
| 2. उ0नि0 सतीश कुमार शुक्ल थाना मुस्करा | 5. का0 पंकज मौर्या थाना मुस्करा |
| 3. हे0का0 नन्दकिशोर पाण्डेय थाना मुस्करा | 6. का0 शिवकुमार तिवारी थाना मुस्करा |
| | 7. म0का0 पिंकी देवी थाना मुस्करा |